बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक 'हस्तक' पुस्तक के रूप में प्रकाशन हेतु कोटेशन संबंधी सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक 'हस्तक' पुस्तक के रूप में मुद्रण कराया जाना है। उक्त 'हस्तक' का 400 (चार सौ) प्रतियों में पुस्तक के रूप में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। 'हस्तक' में 245 पृष्ठ होने की सम्भावना है, जिसके मुद्रण करने, उसका बंधन एवं बाईडिंग कर कार्य स्थल पर पहुँचाने का कार्य सम्पादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित/रजिस्टर्ड डाक एवं हाथों–हाथ विभाग के प्राप्ति पटल पर दिनांक 09.01.2026 के अपराह्न 04:00 से दिनांक 12.01.2026 के अपराह्न 04:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। उक्त 'हस्तक' का स्वरूप निम्नवत् होगाः–

क्र0	पुस्तक का विवरण	पृष्ठों की संख्या (लगभग)/पुस्तकों की संख्या	कागज की गुणवत्ता
1	अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक **'हस्तक'** (400 प्रतियों में मुद्रण)	245/ 400 प्रतियों में मुद्रण	मल्टीकलर 300 जी0एस0एम आर्ट पेपर लेमिनेशन सहित टेक्ट पेपर मल्टीकलर 80 जी0एस0एम0 आर्ट पेपर पर छपाई, साईज ए4 बाईंडिंग

नोटः– 1. इसमें सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पास सुरक्षित होगा।

2. पृष्ठों की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है।

इस संबंध में कोई भी अन्य जानकारी **प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना** के मोबाईल संख्या–8709424052 पर उक्त अवधि में दिनांक 09.01.2026 के अपराह्न 04:00 से दिनांक 12.01.2026 के अपराह्न 04:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.html पर इच्छुक कोटेशनदाताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

नोटः–कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैः–

(1) विगत 01 वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी अभिलेख
(2) जी0एस0टी0 पंजीकरण से संबंधित अभिलेख
(3) कार्यादेश निर्गत होने के 02 दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तक प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि के 02 दिनों के भीतर मुद्रण का कार्य सम्पन्न करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक **'हस्तक'** विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

ह0/–
(राज किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या– 19/लेखा– 01–17/2025 सा0प्र0 647 / पटना– 15, दिनांक 9.01.26

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.01.26

सरकार के अवर सचिव